



पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर

सराहनीय कार्य

दिनांक 25.04.2021

1-थाना सेक्टर 20 पुलिस द्वारा ऑक्सीजन की कालाबाजारी करते हुये 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 सिलेण्डर (47 लीटर) ऑक्सीजन व 650 रूपये नकद बरामद।

दिनांक 24.04.2021 को थाना सेक्टर 20 नोएडा पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों को ऑक्सीजन की कालाबाजारी करते हुए 02 सैलेण्डर(47 लीटर) ऑक्सीजन के साथ गिरफ्तार किया गया है। उपरोक्त दोनो अभियुक्त जी-36 सैक्टर 9 नोएडा की दुकान पर कालाबाजारी कर रहे थे एवं जरूरतमंद लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर मनमाने दामों पर बेचते हुए गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:

1. अरविन्द कुमार पुत्र मंगल शाह नि० जी-76 बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर किरायेदार से०-9 नोएडा
2. विवेक कुमार पुत्र राजू शाह नि० एफ-33 के सामने जे०.जे०. कालोनी सेक्टर 9 नोएडा

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु०अ०सं० 366/2021 धारा 188,269,270,420 भादवि० व 3 माहमारी अधि० थाना सेक्टर 20 नोएडा गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण:

1. 02 सैलेण्डर (47 लीटर)
2. कुल 650- रुपये नकद



2- थाना जेवर पुलिस द्वारा 03 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 37 बोरियां गुटखा/जर्दा कीमत लगभग 7 लाख 50 हजार रुपये बरामद।

दिनांक 24/25.04.2021 की रात्रि में थाना जेवर पुलिस द्वारा 03 शातिर चोर 1. रोहित पुत्र रमेशचन्द्र नि0 धनोरा थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर 2.मनोज कुमारपुत्र मामचन्द नि0 फतेहपुर उर्फ मकरन्दपुर थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर 3.अक्षय पुत्र दिनेश गोयल नि0 शेरपुर थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर को जंगल जेवर खादर से मय चोरी के माल के गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 37 बोरियां गुटखा/जर्दा कीमत लगभग 07 लाख 50 हजार रूपये बरामद की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:

1. रोहित पुत्र रमेशचन्द्र नि0 धनोरा थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर
- 2.मनोज कुमारपुत्र मामचन्द नि0 फतेहपुर उर्फ मकरन्दपुर थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर
- 3.अक्षय पुत्र दिनेश गोयल नि0 शेरपुर थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

- 1.मु.अ.सं. 186/2021 धारा 457,380,411 भादवि थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण:

- 27 बोरियां दिलबाग व 10 बोरियां जर्दा कुल 37 बोरियां कीमत करीब 7 लाख 50 हजार रुपये



3- थाना बिसरख पुलिस द्वारा 01 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

दिनांक 24.02.2021 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा 01 वाहन चोर कुलदीप पुत्र नैन सिंह नि० गिरी मार्किट लाला पासिराम वाली गली थाना लोनी गाजियाबाद को ईटैडा गोल चक्कर से मय एक चोरी की मोटर साइकिल यामाहा एफजेड रंग लाल रजि०नं० डीएल 8एस एटी 5817 (जिस पर फर्जी नम्बर प्लेट लगी है),के साथ गिरफ्तार किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

कुलदीप पुत्र नैन सिंह नि० गिरी मार्किट लाला पासिराम वाली गली थाना लोनी गाजियाबाद ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु०अ०सं० 277/2021 धारा 414,482 भादवि थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर ।

बरामदगी का विवरण:

एक मोटर साइकिल यामाहा एफजेड रंग लाल रजि०नं० डीएल 8एस एटी 5817 (जिस पर फर्जी नम्बर प्लेट लगी है) ।



4- थाना फेस-3 पुलिस द्वारा जस्ट डील सोल्युशन कम्पनी सेक्टर 63 नोएडा में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 लैपटाप व 02 मोबाइल व 02 रिजयूम फाईल बरामद।

दिनांक 25.04.2021 को थाना फेस 3 पुलिस द्वारा कम्पनी में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर लालच देकर धन हड़पने वाले 02 शातिर ठग 1. दीपक उर्फ नीरज चौधरी पुत्र मुकेश चौधरी निवासी सी-942 नंदग्राम थाना सिहानी गेट जिला गाजियाबाद 2. भारत पुत्र नरेश कुमार निवासी मकान नं0 7/380ए कृष्णा गली शाहदरा दिल्ली 32, वर्तमान निवासी- गली नं0 1 भारत नगर खोड़ा कालौनी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया है तथा कम्पनी जस्ट डील सोल्युशन ए 440 बी 02 सैक्टर 63 नोएडा से 02 लैपटाप , 02 मोबाइल , 02 रिजयूम फाईल बरामद किये गये है ।

अभियुक्त शातिर किस्म के ठग है जो कम्पनी जस्ट डील सोल्युशन ए 440 बी 02 सैक्टर 63 नोएडा में नौकरी देने के नाम पर जनता के लोगो से ठगी करके धन हड़पते है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:


1. दीपक उर्फ नीरज चौधरी पुत्र मुकेश चौधरी निवासी सी-942 नंदग्राम थाना सिहानी गेट जिला गाजियाबाद
2. भारत पुत्र नरेश कुमार निवासी मकान नं0 7ध380। कृष्णा गली शाहदरा दिल्ली 32, वर्तमान निवासी- गली नं0 1 भारत नगर खोड़ा कालौनी गाजियाबाद

अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 325/2021 धारा 420 भादवि थाना फेस-3 नोएडा

बरामदगी का विवरण:

1. 02 लैपटाप
2. 02 मोबाइल
3. 02 रिजयूम फाईल



#जनपद में कोविड-19 महामारी के पुनः संक्रमण के खतरे को देखते हुए पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के निर्देशानुसार सभी थाना क्षेत्रों में पीसीआर, माइक मोबाइल जीप, पैदल गश्त टीम व स्वयं पुलिस अधिकारियों के द्वारा कोविड गाइडलाइन्स, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने, दो गज की दूरी व रात्रि कर्फ्यू तथा शुक्रवार रात्रि 8:00 बजे से सोमवार प्रातः 7:00 बजे तक लागू लॉकडाउन के सम्बंध में लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। यदि कोई भी व्यक्ति कोविड सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर वैधानिक कार्यवाही करते हुए जुर्माना किया जाएगा।

इसी के क्रम में दिनांक 25.04.2021 को 694 व्यक्तियों पर चालान की कार्यवाही करते हुए 1,10,100 रुपये का जुर्माना वसूला गया साथ ही 33 व्यक्तियों को मास्क सम्बन्धी नियम की पुनरावृत्ति करने पर संशोधित दर 10,000 रुपये के जुर्माने से दण्डित भी किया गया है। 760 वाहनों का चालान करते हुए कुल 30900 रुपये शमन शुल्क वसूला गया साथ ही 13 वाहनों को सीज भी किया गया।

206 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 188 भादवि के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए 55 अभियोग पंजीकृत किये गए हैं।